न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 30/2018
वाद दायरी दिनांक : 09/04/2018
निर्णय दिनांक : 26/03/2019

रामजीवण पुत्र घीसा, जाति गुर्जर, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र गोपी जाति गुर्जर, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. भोजाराम पुत्र गोपी जाति गुर्जर, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 व
मूल वाद घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा (अन्तिम डिक्री)
(अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री हरीश कुमार साहू**
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 26/03/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2018 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया कि "अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात वाके ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 7193/4312 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7190/4312 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4476 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर का वादी के काबिज काश्त अनुसार एवं आराजी खसरा नम्बर 4471 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7194/4461 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7196/4462 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4470 रकबा 0.41 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर कुल 0.60 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के काबिज काश्त अनुसार घोषणा की जाकर इसी कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया गया कि मुताबिक निर्णय व डिक्री अनुसार नक्शे कुरेजात तैयार कर दो प्रतियों में भिजवाये।"

दिनांक 24/12/2018 को तहसीलदार दूदू के पत्र क्रमांक/भू.अ./18/3265 दिनांक 27/11/2018 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

दिनांक 27/02/2019 को वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 व बहस नक्शे कुरेजात में नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 व नक्शे कुरेजात पर बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। यहां पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 व मूल वाद दोनों का निर्णय साथ–साथ किया जाना सुविधा के अनुसार उचित होगा। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकारान व अन्य पक्षकारान के मध्य पूर्व में एक प्रकरण संख्या 202/2002 उनवानी सुजा बनाम रामलाल का इस न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन रहकर निर्णित हुआ है, जो तकासमा का वाद रहा है, जिसमें इस प्रकरण के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्व में विचाराधीन प्रकरण संख्या 202/2002 में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के रूप में दर्ज रहे है, जिनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर आराजी का विभाजन किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 पेश कर वादी ने न्यायालय को यह अवगत कराया है कि प्रकरण संख्या 202/2002 में विभाजन के पश्चात जो आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में आयी है, वह मौके पर काबिज अनुसार विभाजन नही किया जाकर गलत रूप से विभाजन किया गया है, जिसकी एकतरफा कार्यवाही होने से वरवक्त जानकारी भी नही हो सकी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

थी। अब मौके पर काबिज अनुसार विभाजन करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया गया हैं। जो इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी भी किया जा चुका हैं।

वर्तमान प्रकरण की पत्रावली एवं पूर्व में विचाराधीन प्रकरण का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि पूर्व में विचाराधीन प्रकरण में आराजीयात का विभाजन उपरान्त जो आराजीयात इस प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आयी है, उसी आराजीयात का अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी सुविधा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार सही विभाजन करवाना चाहते है, चूंकि विवाद मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 202/2002 के प्रति.सं.3 व 4) के मध्य ही है, इसलिये मेरी राय में अब पुनः उक्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं उनकी सहमति व मौके पर काबिज अनुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 202/2002 में इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान की सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। पूर्व में निर्णित प्रकरण में अन्य पक्षकार भी है, लेकिन उनसे किसी प्रकार का विवाद नही होने से एवं विवाद मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य ही होने से इनकी हद तक ही पूर्व में हुये विभाजन को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

प्रकरण प्राथमिक डिक्री होने पर तहसीलदार दूदू से जो नक्शे कुरेजात प्राप्त हुये है, उनका गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार करते हुये मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 202/2002 के निर्णय की पालना में हुये विभाजन को इस प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (पूर्व में निर्णित प्रकरण सं. 202/2002 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 व 4) की हद तक निरस्त किया जाता है एवं वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दूदू, तहसील दूदू का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1	हनुमान पुत्र गोपी हि.1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा दूदू सा0 देह	4471	0.08
		7194/4461	0.07

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

	भोजाराम पुत्र गोपी हि.1/2 राहिन बी.ओ.बी. शाखा दूदू	7196/4462	0.37
		4470	0.08
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर
2.	रामजीवण पुत्र घीसा, जाति गुर्जर, निवासी सा0 देह	4476	0.23
		7193/4312	0.10
		7190/4312	0.27
		4470	0.33
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

…ला. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुकाम दूदू
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

…लीवण पुत्र घीसा गूर्जर बनाम 1. हनुमान पुत्र गोपी गूर्जर निवासी दूदू
दावा बावत प्रा.प. 151 जा.दी. 2. भोजाराम पुत्र गोपी गूर्जर
मूल वाद बंटवारा नक्शा
…दूदू मुकदमा न. 30/2018 सन 3. तहसीलदार तहसील दूदू

…ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिश कुमार साहू एड.
…मिनजानिब मुद्दई रूबरू
…मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा०दी० स्वीकार …किया जाकर प्रकरण सं० 202/2002 के निर्णय की पालना में हुये विभाजन …को उस प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी सं० 1व2 (पूर्व में निर्णित प्रकरण सं. 202/02 …में दर्ज प्रतिवादी सं० 3व4) की हद तक निरस्त किया जाता है एवं वादी का वाद …मुताबिक नक्शे कुर्रेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आ० वाके (बाबत) (मुबलिग) …ग्राम दूदू तह० दूदू का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुर्रेजात बंटवारा किया (…मुकदमे के गये सूद वगैरह) (फीसदी … आज की तारीख से) …जाकर खाता अलहदा-अलहदा (का अदा करें।) निम्न प्रकार किया जावे।— ह०
…अदायगी तक

…सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2019 को …दी गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
…अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
…वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
…वजह सबूत			महन्ताना वकील		
…ताना वकील			खर्चा गवाहान		
…गवाहान			फीस कमिश्नर		
…कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
…इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
…फरिक					
मीजान			मीजान		

…इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

म- 1. नाम खातेदार- हनुमान पुत्र गोपी हि. 1/12 रहिन P.N.B शाखा दूदू ग्रा० देह खसरा नम्बर 4471 रकबा 0.08 है, ख.न. 7194/4461 रकबा 0.07 हे० भोजाराम पुत्र गोपी हि. 1/2 रहिन B.O.B शाखा दूदू ख.न. 7196/4462 रकबा 0.37, ख.न. 4470 रकबा 0.08 हे० कुल किता-4 कुल रकबा 0.60 हे०

2. नाम खातेदार- रामजीवण पुत्र धीसा जाति गुर्जर निवासी ग्रा० देह ख.न. 4476 रकबा 0.23, ख.न. 7193/4312 रकबा 0.10 हे० ख.न. 7190/4312 रकबा 0.27 हे० कुल किता-04 कुल रकबा 0.93 हेक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू